दिनांक 8 नवंबर 2020

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

महापौर एवं भिलाई नगर विधायक श्री देवेंद्र यादव ने 38 हितग्राहियों को सौंपा आबंटन पत्र , सड़क निर्माण के दौरान हुए थे प्रभावित, पावर हाउस के पास सालों से कर रहे थे अवैध रूप से व्यवसाय

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत पावर हाउस ओवर ब्रिज के नीचे कई सालों से अवैध रूप से व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को व्यवस्थापन के तहत महापौर एवं भिलाई नगर विधायक श्री देवेंद्र यादव ने आबंटन पत्र सौंप दिया! अब बेझिझक यहां पर व्यवसाय कर पाएंगे! विगत 8 साल पूर्व सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण के दौरान पावर हाउस ओवर ब्रिज के नीचे गुमटी के माध्यम से व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों के दुकानों को राजस्व विभाग द्वारा हटा दिया गया था! सड़क निर्माण पश्चात पुनः व्यवसायी अवैध रूप से व्यवसाय करने लगे और इसी स्थान पर पुनः आबंटन की मांग करने लगे! मामला संज्ञान में आने पर महापौर श्री देवेंद्र यादव एवं आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने दीनदयाल उपाध्याय योजना के व्यवस्थापन के तहत प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए थे! निगम ने प्रभावित लोगों का सर्वे कराकर 38 व्यवसायियों का चयन किया, जो अतिक्रमण से प्रभावित हुए थे! व्यवस्थापन का प्रकरण तैयार कर जिला चयन समिति दुर्ग को प्रेषित किया गया! स्वीकृति मिलने के पश्चात प्रभावित हितग्राहियों को महापौर ने आबंटन पत्र वितरित कर दिया है! उल्लेखनीय है कि6*5 साइज की गुमटी का आबंटन हितग्राहियों को पूर्व में किया गया था , वर्ष 2014 में सड़क निर्माण के दौरान इन्हें हटा दिया गया था! अब आबंटन पत्र मिलने से निर्भीक होकर हितग्राही दुकान का संचालन कर पाएंगे! दीपावली पूर्व आबंटन पत्र मिलने से हितग्राहियों के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दे रही थी! हितग्राहियों ने महापौर एवं निगम प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया! आवास योजना के प्रभारी एवं महापौर परिषद के सदस्य डॉ दिवाकर भारती ने सभी हितग्राहियों को बधाई दी और कहा कि निगम प्रशासन योजना का बेहतर लाभ लोगों को दिला रहा है! आबंटन पत्र वितरण के दौरान उपायुक्त तरुण पाल लहरें , प्रभारी अधिकारी आवास विद्याधर देवांगन , घनश्याम साहू एवं निर्मला वर्मा उपस्थित रहे!

जनसंपर्क अधिकारी